22/2012 प्र.पत्र 09 R 13 CPC

| सुनवाई आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 5/3/12 | वकील उत्तरदाता पक्ष उप. । प्रा.पत्र आदेश 10 व 15 CPC पर वकील उत्तरदाता पक्ष को सुना गया। वकील अप्रार्थी ने प्रा.पत्र आदेश 10 व 15 CPC के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि आ.ख.नं. 4131/0.18, 4132/0.18, 4145/0-22, 4161/0.12, 4162/0-34 है. कुल किता 5 रकबा 1.04 है. वाके ग्राम शाहपुरा के सम्बन्ध मे प्रा.पत्र 09 R 13 CPC पेश किया है उक्त आराजी के सम्बन्ध वाद सं. 147/01 इन्तकरार एवं बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के दिनांक 10-6-2011 के द्वारा निर्णय एवं डिक्री किया गया था। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी महो. जयपुर के समक्ष अपील सं. 358/2011 उनवान बाबूलाल V/S रामा देवी वगै. विचाराधीन है। जिसमे प्रार्थी भी पक्षकार है। अपील मे पक्षकार की तामील हो चुकी है। जिसकी सब तथ्यो की जानकारी प्रार्थी को रही है। जिसका अभी निर्णय होना शेष है। न्यायालय राजस्व अधिकारी जयपुर के द्वारा स्थगन जारी किया गया है। प्रस्तुत अपील स्थगन की प्रति पेश कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय तक प्रा.पत्र 09 R 13 CPC की कार्यवाही स्थगित की जावे। जिसके सम्बन्ध मे वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र आदेश 10 व 15 CPC के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि वर्तमान मे प्रकरण जवाब प्रा.पत्र का.मु. एवं संशोधित टाईटल पेश करने हेतु नियत चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा दि. 10/6/2011 को पारित निर्णय व डिक्री के खिलाफ प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के पास निर्णय व डिक्री के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तीन विकल्प उपलब्ध होते है प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना | |

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

हिम्मती बनाम राधा

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 22/2012 प्रा०पत्र 9 R 13 CPC

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 8/3/18 लगातार | अपील दायर / सम्पत्ति डिक्री हेतु 09 R 13 CPC के तहत प्रा०पत्र। अपील दायर करने का अधिकार रखते हैं। प्रकरण में पक्षकार सज्ञान नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण से बरबाद भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ने का कथन भी सरासर गलत मनमाना तथा दुर्भावना पूर्ण अंकित किया गया है। प्रा०पत्र तत्सम्बन्धित कानून प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। इस कारण प्रा०पत्र ~~आदेश~~ धारा 10 व 151 CPC खारिज फरमाया जाने योग्य है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 35/11 उनवान बाबूलाल V/S राधा देवी जो अपील विचाराधीन है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा दि० 9-8-2011 के द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाधीन निर्णय व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 10/6/11 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।<br><br>हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस दलीलों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि प्रा०पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC निर्णय दिनांक 10-6-2011 के विरुद्ध पेश किया गया है। जिसकी अपील अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की गई है। प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के |

(... विजय)
अधिकारी
जयपुर

# फर्द अहकाम

गिरधारी बनाम राज्य

न्यायालय SDO शाहपुरा

22/2012 प्रा-पत्र O 9 R 13 CPC

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 8/3/15 [illegible] | पत्र विचाराधीन है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त आराजी बाबत क्रिया नहीं स्थगित रखे जाने के आदेश/स्थगन आदेश पारित हैं। इस प्रकार एक ही प्रकरण में अलग-अलग न्यायालय में विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है।<br>अतः प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रा-पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC की कार्यवाही स्थगित की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय पश्चात वांछित अनुतोष प्राप्त होने प्रार्थी पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु निवेदन कर सकेगा। तब तक पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] जमा हो। निर्णय सुनाया गया।<br><br>(रवि विजय)<br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.) | |